परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्याः–1949एफए/14–499एफए/74/12टीसी   दिनांकः 17 अक्टूबर,2014

1 प्रधान प्रबन्धक,
केन्द्रीय कार्यशाला/डा0राम मनोहर लोहिया कार्यशाला,
उ0प्र0परिवहन निगम कानपुर।

2 प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0परिवहन निगम कानपुर।

3 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त),
उ0प्र0परिवहन निगम।

4 प्रबन्धक (आहरण–वितरण),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
मुख्यालय, लखनऊ।

5 प्रबन्धक,कारसेक्शन,
उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ।

6 अधिशासी अभियन्ता(पूर्व/पश्चिम)
निगम मुख्यालय लखनऊ।

विषय :– परिवहन निगम के पूर्णकालिक कार्मिको को दीपावली से पूर्व मंहगाई भत्ते के एरियर के विरूद्ध धनराशि दिये जाने के संबंध में।

उक्त के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा निगम के नियमित पूर्णकालिक कार्मिको को दिनांक 01.07.10 से 31.08.11 तक की अवधि के 10 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की एरियर राशि के अवशेष के विरूद्ध रू0 5,000/– (रू0 पांच हजार) मात्र का भुगतान दीपावली से पूर्व किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। जिन कार्मिको की उक्त अवधि के मंहगाई भत्ते के एरियर की देयता समाप्त हो चुकी है अथवा उक्त धनराशि से कम शेष है तो उन्हें स्वीकृत तथा अवशेष धनराशि के अन्तर की धनराशि का भुगतान उक्त सीमा तक दिनांक 01.01.11 से 29.02.12 तक के देय 06 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के अवशेष से किया जायेगा।

सेवानिवृत्त/मृत कार्मिको एवं पेंशनर्स को उनके दिनांक 01.01.11 से 29.02.12 तक की अवधि के देय 06 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की शेष देयता के विरूद्ध उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। जिनकी देयता उक्त धनराशि से कम है उन्हें वास्तविक अवशेष राशि का ही भुगतान किया जायेगा।

उक्त धनराशि का वितरण पूर्व में तैयार किये गये वास्तविक देयको में अवशेष धनराशि के विरूद्ध निगम की दिनांक 22.10.14 की आय से किये जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है। मुख्यालय द्वारा वित्त पोषित ईकाईयां इस हेतु अपना मांग पत्र तत्काल सहायक प्रबन्धक, केन्द्रीय भुगतान निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराकर धनराशि प्राप्त कर दीपावली पर्व से पूर्व भुगतान करना सुनिश्चित करें। दिनांक 21.10.14 तक की आय निगम मुख्यालय को यथावत स्थानान्तरित की जायेगी।

(के0 विजयेन्द्र पाण्डियन)
अपर प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :–

1– उपमुख्य लेखाधिकारी(वाणिज्य)/सहायक प्रबन्धक(के0भु0/(बजट) निगम मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि मुख्यालय द्वारा पोषित इकाइयों को उनके मांग के अनुरूप धनराशि तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करे।

2– सहायक प्रबन्धक(आडिट/पेंशन)/लेखा मुख्यालय को सूचनार्थ।

(के0 विजयेन्द्र पाण्डियन)
अपर प्रबन्ध निदेशक

roadways

Downloaded From www.upsrtc.com